न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–35 / 2013 वाद पत्र

उनवान

1. गंगाराम पिता मोडा गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. भागु पिता हीरा गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. धर्मा पिता दीपा गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. गोपी पिता दीपा गूजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. हरदेव पिता दीपा गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद –

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 04.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट सगरेव में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी मे साबिक आराजी संख्या 1494 स्थित थी जिसमें से अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों को आवटंन होती गई। उक्त मूल साबिक आराजी नम्बर 1494 में से वादीगण को आराजी संख्या 1494 / 12 आवटित हुई आवटन होने के बाद जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा वादी गंगाराम को दिनांक 05.07.1993 को सूचना पत्र मांग पत्र रूपये 1250 / – जमा कराने का जारी किया गया। वक्त आवटंन से ही उक्त साबिक आराजियात संख्या 1494 / 12 रकबा 5 बीघा भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसे करीब 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है तथा निरन्तर बिना रोक टोक के वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। उक्त साबिक आराजियात के पास में वादीगण की अन्य आराजियात भी स्थित है जिस पर काफी लागत लगाकर कुआ खुदाया है तथा भूमि को उपजाउ बनाया है। मौके पर आवटित रकबा 5 बीघा व अन्य आराजियात एक ही चक में स्थित है। तथा वादीगण का कब्जा है। आवटंन के पश्चात साबिक आराजी संख्या 1494 / 12 वादीगण के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई। जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत् 2049 से 2052 में किया गया है। प्रमाण में उक्त जमाबंदी वाद पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत है। वादी दीपा 10–12 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है जिसके वादी संख्या 03 लगायत 05 विधिक वारीस है। साबिक आराजी सख्या 1494 / 12 के भूमि भू प्रबन्ध के दौरान नवीन नम्बर 2885 कायम किये गये। लेकिन राजस्व मिलान क्षेत्रफल में साबिक आराजी संख्या 1494 / 12 का अंकन तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल में नही किया गया। बल्कि मूल साबिक नम्बर 1424 का ही अंकन है। नवीन आराजी संख्या 2885 रकबा 1.55 है0 भूमि वर्तमान में बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर 20 वर्ष से भी अधिक समय से वादीगण काबिज है तथा उक्त बिलानाम रकबे में से 1.08है0 भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त रकबे पर वादी का ऐडवर्स पजेशन हो चुका है। इस आधार पर भी वादीगण नवीन आराजी संख्या 2885 रकबा 1.55 है0 मे से 1.08है के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। वादीगण का उक्त नवीन आराजी सख्या 2885 रकबा 1.55 हे0 में से 1.08 है0 पर एडवर्स पजेशन है तथा उक्त रकबा पूर्व मे वादीगण के नाम से गेर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड किया गया था लेकिन वादी गगाराम पिता मोडा गुजर वृद्ध है तथा भाई दीपा की मृत्यु हो चुकी है इस वजह से जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना मे उक्त नोटिस की नियमानुसार मांग पत्र की राशि जमा नही करवा सका । लेकिन

भाई दीपा की मृत्यु हो चुकी है इस वजह से जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना मे उक्त नोटिस की नियमानुसार मांग पत्र की राशि जमा नही करवा सका । लेकिन वादीगण उक्त रकबे की खातेदारी दर्ज करवाने के लिए नियमानुसार राशि जमा करने को तेयार है तथा खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 02 माह का नोटिस अंतर्गत धारा 80 जा0दी0 का दिया जाना अनिवार्य है लेकिन वादीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही हो जाने से मामला आवश्यक प्रकृति का है जिससे बिना नोटिस दिये ही यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र प्रस्तुती की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र वाद के साथ प्रस्तुत है। हाल आराजी संख्या 2885 रकबा 1.08 है0 को वादीगण के नाम दर्ज कराने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी पालना में पटवार हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भी अंकित किया कि नवीन आराजी संख्या 2885 रकबा 1.55 है0 में से 1.08 है0 पर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं। लेकिन प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होने पर वादीगण को उक्त वाद पत्र विवश होने पडा है। बिनाय वाद दिनांक 19.02.2013 को प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है और यह वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.05.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी उपस्थित है। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तनकीयात निम्न प्रकार है –

1. आया ग्राम सगेरव पटवार हल्का सगरेव मे साबिक आराजी संख्या 1494 मे से 1.08 है0 भूमि वादीगण को आवटन हुई वक्त आवटन से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। इस आधार पर वादीगण नवीन आराजी सख्यंया 2885 रकबा 1.08 हे0 के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।(जिम्मे वादी)
2. आया वाद ग्रस्त आराजी पर वादीगण का एडवर्स पजेशन होने से खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।(जिम्मे वादी)
3. अन्य अनुतोष।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में भी नोटिस जारी किये गए। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सगरेव की गत आराजी सख्या 1494/12 मे पांच बीघा भूमि वादी को आवंटन की गई। आवटित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की होने से जरिऐ नोटिस 05.07.1993 को नजराना कमाण्ड की राशि 1250 रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया परन्तु वादी द्वारा राशि जमा नही कराये जाने से आवंटन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण अंतर्गत धारा 88, 89 आर0टी एक्ट की तारीफ में नही आकर सक्षम न्यायालय में अपीलीय प्रकरण बनता है। अतः वाद चलने योग्य नही होने से खारिज कराया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। तनकीवार विवेचन किया जाकर निष्कर्ष निम्नानुसार है–

तनकी न 01

रिकार्ड का अवलोकन किया जमाबंदी संवत 2049 से 2052 के अनुसार वादीगण एवं उनके पिता भागू पिता हीरा, दीपा पिता श्रीराम, गगाराम पिता मोडा गुर्जर के नाम सामलाती आराजी सख्या 1494/12 गैर खातेदारी दर्ज थी। जिला कलक्टर के सूचना पत्र कमांक 1074 दिनांक 05/07/1993 के कम मे कमाड राशि 1250/ रूपये वादीगण को जमा कराये जाने एवं आरक्षित मूल्य जमा नही कराने पर भूमि राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने का जारी किया गया। वादीगण द्वारा दिनांक 19/02/2013 को एक पत्र शिविर प्रभारी प्रशासन गावों क संग को लिखकर आरक्षित राशि जमा करवाने हेतु सहमति देते हुए खातेदारी दर्ज कराने बाबत निवेदन किया वादीगण द्वारा निर्धारित अवधि में आरक्षित राशि जमा न किये जाने से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई। जिसके वर्तमान नम्बर 2885 है। पैराकार सरकार ने भी जवाब द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने का विवरण देते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया है। अतः तनकी न0 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी न 02

वादीगण ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही जा सकती जिससे संबंध मे न्यायिक निर्णय निम्नानुसार है–

1. राज0 रेवेन्यू बोर्ड का स्टेट आफ राज0 बनाम LR Of अब्दुल्ला में दिया गया निर्णय।
2. राज0 हाईकोर्ट द्वारा छीतरमल एवं अन्य बनाम श्रीमति भंडारी देवी में दिया गया निर्णय। अत तनकी न0 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त दोनो तनकीयात वादी के विरूद्ध निर्णित होने से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। न्यायालय वादीगण का वाद खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएव

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राज0 का0 अधि0 खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा